सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 26, शुक्रवार, शाके 1943-सितम्बर 17, 2021 *Bhadra 26, Friday, Saka 1943- September 17, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2021

जी.एस.आर.330 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2021 है।

2.

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

3. नियम 266 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 266 के विद्यमान खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

(3) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा)	
(क) सामान्य शिक्षा	
स्तर-(i) कक्षा 1 से 5 तक	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित अर्हताएं और रीट (R.E.E.T.)/आरटेट (R.T.E.T) उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।
स्तर-(ii) कक्षा 6 से	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम

8 तक	सं. 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित अर्हताएं, और (i) सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, लेखाशास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; (ii) विज्ञान और गणित के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो-बायोलोजी), जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टैक्नोलोजी), जैव रसायन विज्ञान (बायो-कैमिस्ट्री) और गणित में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; (iii) भाषा के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी भाषा विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; (iv) अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा (बी.एल.एड.) या बी.ए.बी.एड./बी.एससी. बी.एड. स्नातक हो अर्थात् चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता रखने वाला कोई अभ्यर्थी तत्संबंधी विषय के साथ अर्हता परीक्षा भी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; और (v) आवेदित विषय में रीट (R.E.E.T.)/आरटेट(R.T.E.T.) उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।

	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित अर्हताएं और रीट (R.E.E.T.)/आरटेट (R.T.E.T) उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।
(ख) विशेष शिक्षा स्तर-(i) कक्षा 1 से 5 तक	
स्तर-(ii) कक्षा 6 से 8 तक	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित अर्हताएं; और (i) सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, लेखाशास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; (ii) विज्ञान और गणित के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो-बायोलोजी), जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टैक्नोलोजी), जैव रसायन विज्ञान (बायो-कैमिस्ट्री) और गणित में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; (iii) भाषा के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी भाषा विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; (iv) अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा (बी.एल.एड.) या बी.ए.बी.एड./ बी.एससी. बी.एड. स्नातक हो

अर्थात् चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता रखने वाला कोई अभ्यर्थी तत्संबंधी विषय के साथ अर्हता परीक्षा भी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; और

(v) आवेदित विषय में रीट (R.E.E.T.)/आरटेट (R.T.E.T.) उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।"

3. अनुसूची-1 का संशोधन.- उक्त नियमों के अध्याय 12 की अनुसूची-1 के क्रम संख्यांक 5 में,-

i. स्तंभ 2 की मद (क) सामान्य शिक्षा की उप-मद स्तर-(ii) कक्षा 6 से 8 तक, के सामने स्तंभ 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, लेखाशास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

ii. स्तंभ 2 की मद (ख) विशेष शिक्षा की उप-मद स्तर-(ii) कक्षा 6 से 8 तक के सामने स्तंभ 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, लेखाशास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[**सं.एफ.4(2)अमे/रूल्स/लीगल/पी.आर./2020/808**]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. प्रेम सिंह चारण,

संयुक्त शासन सचिव ।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ

(PANCHAYATI RAJ)

NOTIFICATION

Jaipur, September 15,2021

G.S.R.330 :-In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Third Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 266.- The existing clause (3) of rule 266 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"(3) Primary and Upper Primary School Teacher (100 percent by direct recruitment)		
(A) General Education	Level-(i) Class I to V	Qualification as laid down by the National Council for Teacher Education under the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act. No. 35 of 2009), from time to time and must have passed the R.E.E.T./R.T.E.T..
	Level-(ii) Class VI to VIII	Qualifications as laid down by the National Council for Teacher Education under the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act. No. 35 of 2009), from time to time, and (i) for the teacher of Social Studies, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with at least one subject as an optional subject from amongst History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration, Philosophy, Accountancy, Economic & Financial Management and Banking & Business Economics; (ii) for the teacher of Science and Mathematics, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with at least one subject as an optional subject from amongst Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Micro-Biology, Bio-technology, Bio-chemistry and Mathematics; (iii) for the teacher of language, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with the corresponding language as an optional subject; (iv) the candidate who has Graduated in Elementary Education (B.El.Ed.) or B.A.B.Ed./B.Sc. B.Ed., i.e. a candidate with the qualification of four years integrated course, must also have passed the qualifying examination with the corresponding subject; and (v) must have passed the R.E.E.T./R.T.E.T. in the subject applying for.

(B) Special Education Level- (i) Class I to V	Qualification as laid down by the National Council for Teacher Education under the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act. No. 35 of 2009), from time to time and must have passed the R.E.E.T./R.T.E.T..
Level-(ii) Class VI to VIII	Qualifications as laid down by the National Council for Teacher Education under the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act. No. 35 of 2009), from time to time; and (i) for the teacher of Social Studies, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with at least one subject as an optional subject from amongst History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration, Philosophy, Accountancy, Economic & Financial Management and Banking & Business Economics; (ii) for the teacher of Science and Mathematics, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with at least one subject as an optional subject from amongst Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Micro-Biology, Bio-technology, Bio-chemistry and Mathematics; (iii) for the teacher of language, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with the corresponding language as an optional subject; (iv) the candidate who has Graduated in Elementary Education (B.El.Ed.) or B.A.B.Ed./B.Sc. B.Ed., i.e. a candidate with the qualification of four years integrated course, must also have passed the qualifying examination with the corresponding subject; and (v) must have passed the R.E.E.T./R.T.E.T. in the subject applying for."

3. Amendment of schedule-I.- In serial number 5 of schedule-I of chapter-XII of the said rules,-

(i) in column 5 against sub-item level-(ii) Class VI to VIII of item (a) General Education of column 2, for the existing expression "History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy", the expression "History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration, Philosophy, Accountancy,

Economic & Financial Management and Banking & Business Economics" shall be substituted; and

(ii) in column 5 against sub-item level-(ii) Class VI to VIII of item (b) Special Education of column 2, for the existing expression "History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy", the expression "History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration, Philosophy, Accountancy, Economic & Financial Management and Banking & Business Economics" shall be substituted.

[No. F4(2) AM/Rule/Legal/PR/2020/808]
By Order of the Governor,
Dr. Prem Singh Charan,
Jt. Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।